प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.09.2025

थाना नन्दग्राम साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 60,000 रु0 धनराशि वापस करायी गयी ।

थाना नन्दग्राम साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा आवेदक श्री विष्णु पुत्र श्री मेहर सिंह नि0 म0नं 554 गली नं0-4 विश्वाव नगर थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद के साथ साइबर फ्रॉड में ठगी गई धनराशि से **60,000/-** रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

कार्यवाही का विवरण- साइबर सेल थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 09.09.2025 को श्री विष्णु पुत्र श्री मेहर सिंह नि0 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद के साथ साइबर फ्रॉड में ठगी गई **60,000**/- रु0 की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद मा0 न्यायालय के आदेश के उपरान्त दिनांक 26/09/2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना नन्दग्राम पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम साइबर सैल ।

साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 98,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी ।

दिनांक 20.03.2024 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा आवेदक श्री साहिल खोसला पुत्र सतीश खोसला निवासी म0न0 5/38 सै0 5 राजेन्द्र नगर गाजियाबाद के साथ क्रिप्टो करेंसी खरीद के नाम पर साइबर फ्रॉड़ कर ऑनलाइन ठगी की सूचना प्राप्त हुई । जिसके क्रम में आज दिनांक 27.09.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा आवेदक के साथ हुए साइबर फ्रॉड़ कर ठगी गयी कुल धनराशि 98,000/-रुपये को वापस कराया गया ।

कार्यवाही का विवरण:-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दिनांक 20.03.2024 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री साहिल खोसला पुत्र

सतीश खोसला निवासी म0न0 5/38 सै0 5 राजेन्द्र नगर गाजियाबाद के साथ क्रिप्टों करेंसी खरीद के नाम पर ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पर धारा 66D सूचना प्रोद्योगिकी(संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग किया गया। उपरोक्त घटना क्रम में कार्यवाही करते हुए साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बन्धित बैंको से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 27.09.2025 आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 98,000/-रूपये वापस करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बनियान व ईंट बरामद।

दिनांक 25.09.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री मौहम्मद असगर पुत्र अब्दुल हसन निवासी राशिद अली गेट निठोरा रोड, दो-भाई मुस्लिम होटल के सामने थाना लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि मेरे पुत्र मोहम्मद आदिल उम्र 20 वर्ष को दिनांक 17/08/2025 की शाम को समीर पुत्र पप्पू निवासी नसबन्दी कॉलोनी कमल विहार लोनी गाजियाबाद द्वारा फोन करके मिलने के लिए बुलाया, लेकिन जब मेरा पुत्र पूरी रात घर वापस नही आया तो सुबह मैंने उसकी खोजबीन शुरु की फिर शाम को नसबन्दी कॉलोनी से मुझे फोन आया कि तुम्हारा बेटा यहां मरा पड़ा हुआ है। जब मैं नसबन्दी कॉलोनी पहुंचा तो वहां पता चला कि पुलिस द्वारा आदिल को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहां से आदिल को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां दौराने उपचार आदिल की मृत्यु हो गयी। मुझे आदिल के दोस्तों पर उसकी हत्या करने का शक है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामित अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1. अब्दुल तबाब पुत्र मौ0 सुलेमान अंसारी निवासी राहत इन्क्लेव निकट मक्की मस्जिद नसबन्दी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष 2. नौशाद पुत्र कबीर शेख निवासी कमल विहार मक्की मस्जिद नसबन्दी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशांदेही पर समाधी स्थल, जब्बार गार्डन थाना अंकुर विहार से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बनियान व ईंट बरामद की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि हमारी, आदिल, समीर व साहिल की आपस में दोस्ती थी। हम सब पहले एक ही मौहल्ले में नसबन्दी कॉलोनी में रहते थे और आपस में मिलते रहते थे और हमें नशे की भी लत थी जिस कारण हम सब मिलकर नशा कर लेते थे। करीब 01 वर्ष पूर्व मृतक आदिल ने मेरा (अब्दुल तबाब का) वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन चुरा लिया था जिसकी जानकारी मुझे करीब एक महीने बाद मिली थी कि मेरा फोन सालीम नाम के लडके के पास है जिसे आदिल ने चुरा कर सालीम को बेचा था। मैंने सालीम से वही अपना फोन 3000 रु0 में वापस खरीद लिया था। मैंने पुलिस या अन्य कही भी इसकी शिकायत नही की थी। तब मेरी मृतक आदिल से फोन चोरी को लेकर मारपीट व झगडा भी हुआ था। तब से मैं इसी बात को लेकर आदिल से अन्दर ही

अन्दर रंजिश रखने लगा था और फिर उसके बाद मैं बर्थडे केक बनाने का काम सीखने के लिए मुजफ्फरनगर चला गया था और करीब 01 साल बाद बर्थडे केक बनाने का काम सीखकर वापस आकर शालीमार बाग दिल्ली में काम करने लगा। घर से नजदीक होने के कारण घर आना जाना होता रहता था तथा मृतक आदिल, नौशाद व अन्य दोस्तों का मिलना जुलना होता रहता था तथा कभी कभार मिलकर हम लोग नशा कर लेते थे। आदिल के पास अपना मोबाईल फोन नही था। वह दोस्तो के फोन का प्रयोग करके मैसेज से बाते करता था। दिनांक 17.08.2025 को जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे नौशाद और आदिल रास्ते में मक्की मस्जिद के पास खडे हुए बात करते हुए मिले थे। समीर ने मैसेज करके अपने किसी काम से आदिल को बुलाया था। कुछ समय बाद समीर अपने घर वापस चला गया था। आदिल कुछ नशे में लग रहा था। तब हम दोनो आदिल को बात करने के बहाने से समाधी स्थल पर ले गये थे। उसके पश्चात हम तीनों समाधी स्थल के पास स्थित कीकर के पेड के नीचे बैठकर अपनी नयी पुरानी बाते करने लगे थे। इसी दौरान मेरी आदिल से मेरे पूर्व में चोरी किये गये मोबाईल फोन की बात को लेकर बहस होने लगी थी। मैने पहले से ही आदिल को सबक सिखाने की सोच रखी थी, मौका पाकर मैं अपना पहना हुआ हाफ बाजू बनियान निकालकर आदिल का गला घोटने लगा और आदिल झटपटाने लगा तभी नौशाद ने आदिल के हाथ पैर पकड लिये और कहने लगा कि और जोर से मार। तब मैंने जोश में आकर पास में पडी आधी टूटी हुई नुकीली ईंट से आदिल के सिर पर वार किया था जिससे आदिल के सिर से खून निकलने लगा था और उसने हाथ पैर हिलाने बन्द कर दिये थे। तब हम दोनो आदिल को मरा समझकर उसे वहीं पर छोडकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अब्दुल तबाब पुत्र मौ0 सुलेमान अंसारी निवासी राहत इन्कलेव निकट मक्की मस्जिद नसबन्दी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. नौशाद पुत्र कबीर शेख निवासी कमल विहार मक्की मस्जिद नसबन्दी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 21 करीब वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बनियान व ईंट बरामद।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आज दिनांक 27.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र चुडियाला से अवैध देशी तमंचा 315 बोर के साथ अभियुक्त सुमित चौधरी पुत्र मनवीर सिंह उर्फ बिट्टू निवासी सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के

आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध तमंचा मैं लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। आज मैं इस तमंचा को लेकर जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित चौधरी पुत्र मनवीर सिंह उर्फ बिट्टू निवासी सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.09.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को अभियुक्त अभिषेक उर्फ भूरा पुत्र नवाब निवासी दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा बहला फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा मेडीकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 27.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ भूरा पुत्र नवाब निवासी दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को निडोरी अंडरपास चौकी क्षेत्र कलछीना से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं विगत 2 वर्षो से पीडिता से बातचीत करता था। इसके बाद मेरा पीडिता के घर पर आना जाना हो गया और आपस में बातचीत शुरू हो गयी थी । मौका पाकर मैं पीडिता को अपने साथ लेकर चला गया था तथा मैंने पीडिता के साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभिषेक उर्फ भूरा पुत्र नवाब निवासी दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 प्लास्टिक के कट्टे बरामद ।

दिनांक 26.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित के साथ 05 अभियुक्तगण 1.मौसिन पुत्र नसीम निवासी ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद 2.मिथलेश पुत्र मुलचन्द्र निवासी ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद 3.मोहनलाल पुत्र सुग्रीव निवासी ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद 4.छोटू पुत्र रामफल निवासी तिरंगा कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद 5.वसीम पुत्र नसीम निवासी मैन बाजार ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 24 प्लास्टिक के कट्टे में अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित बरामद हुये । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा- 9 (बी)1(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम आगामी त्योहारों पर लाभ कमाने के उद्देश्य से किराये पर मकान लेकर उसमें चोरी छिपे अवैध पटाखे बनाने का कार्य कर रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.मौसिन पुत्र नसीम निवासी ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

2.मिथलेश पुत्र मुलचन्द्र निवासी ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

3.मोहनलाल पुत्र सुग्रीव निवासी ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

4.छोटू पुत्र रामफल निवासी तिरंगा कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

5.वसीम पुत्र नसीम निवासी मैन बाजार ईदगाह कॉलोनी फरुखनगर टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

24 प्लास्टिक के कट्टे मे अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर विस्फोटक अधिनियम 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।